



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email-we.wshgi@gmail.com दूरभाष 0141-2716419



क्रमांक एफ 19 ()/WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CIT/2019-20/

29263

दिनांक

09/12
2020

इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

'महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण'

परिपत्र

उद्देश्य-

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में कम्प्यूटर मनुष्य की महती आवश्यकता बन चुका है, इससे समय-समय पर समस्त आवश्यक कार्य सुगमता व शीघ्रता से संपन्न होते हैं। दैनिक जीवन के अधिकतर कार्य कम्प्यूटर द्वारा किये जा रहे हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी महिलाओं को दिलवाया जाना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में महिलाओं को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं कार्य शैली से अवगत कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

परिचय-

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011-12 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों की महिलाओं यथा गृहणी, किशोरी बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य, कॉलेज छात्राएं तथा बीपीएल व अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिसका समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

पाठ्यक्रम-

RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी) प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है-

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16-40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

आवेदन प्रक्रिया-

योजना एवं चुनिन्दा IT ज्ञान केंद्रों की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/ बालिकाओं द्वारा RS-CIT कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक RKCL पोर्टल के लिंक www.myrkcl.com/wcd पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र में आधार नम्बर भी अंकित करें। ई-मित्र, साईबर कैंफे या अन्य किसी माध्यम से www.myrkcl.com/wcd पर ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से लगाए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधी अनिवार्य प्रमाण पत्र-

1. कक्षा 10वी. उत्तीर्ण की अंकतालिका।
2. आयु सत्यापन एवं कक्षा 10वी. राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में 10वीं का प्रमाण-पत्र।
3. स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंकतालिका।

विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं-

1. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
2. हिंसा से पीड़ित महिला के प्रकरण में एफआईआर की प्रति / घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति।
3. साधिन /आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज लगायें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका लगाएं।
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण-पत्र।

चयन प्रक्रिया-

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरियता सूची तैयार कर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायगी। उक्त लॉगिन में उपलब्ध वरियता सूची की जांच कर जिला स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा जिलेवार एवं आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों का ऑन लाइन चयन किया जायेगा:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता
3. आर.के.सी. एल. का प्रतिनिधि

निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में निम्नलिखित वरीयता से प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- i. विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता
- ii. हिंसा से पीड़ित महिला।
- iii. कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण साधिन।
- iv. स्नातक उत्तीर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।
- v. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है।
- vi. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है।
- vii. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है।

उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् शेष रही सीटों हेतु कक्षा 10 के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान प्राप्तांक की स्थिति में अधिक उम्र वाले वाले प्रशिक्षणार्थियों को वरीयता दी जाएगी।

आवंटित सीटों में से 18% सीटों पर अनुसूचित जाति एवं 14% सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। सम्बन्धित वर्ग में अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य से भरा जा सकेगा।

प्रशिक्षणार्थियों के आई.टी.ज्ञान केन्द्र वार चयन के उपरांत आर.के.सी.एल. द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों के मोबाइल/ई-मेल आई.डी पर रफरेन्स नम्बर एवं आई.टी. ज्ञान केन्द्र (जिस हेतु प्रशिक्षणार्थी का चयन हुआ है) की सूचना दी जायेगी जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी संबंधित आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु रिपोर्टिंग करेंगे। तत्पश्चात् आरकेसीएल द्वारा रिपोर्टिंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का लर्नर कोड जारी किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को एक सप्ताह में आई.टी.ज्ञान केन्द्र पर बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाकर नियमित रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अन्यथा प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रशिक्षण-

जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. द्वारा उनके चिन्हीत आई.टी. ज्ञान केन्द्रों पर चयनित कोर्स के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से की जाएगी एवं विभाग द्वारा तय समय पर ही आई.टी. ज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में भाग लेना होगा। कुल प्रशिक्षण अवधि की 65% से कम बायोमैट्रिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित की जाएगी। उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण पत्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी किये जाएंगे।

भुगतान-

योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा RKCL को दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त का भुगतान उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों हेतु किया जाएगा जिनका लर्नर कोड जारी किया गया है एवं बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन है। प्रथम किश्त अन्तर्गत 'राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी' RS-CIT कोर्स प्रशिक्षण हेतु रु 2700 प्रति संभागी के 50 % राशि का भुगतान किया जाएगा। द्वितीय किश्त के रूप में शेष 50 % का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के उत्तीर्ण होने, आई.टी.ज्ञान केन्द्रों द्वारा जनप्रतिनिधि से प्रशिक्षण के उद्घाटन/निरीक्षण/समापन करवाने एवं 85 % से अधिक बायोमैट्रिक उपस्थिति होने पर किया जाएगा। योजनान्तर्गत दोनों किश्तों का भुगतान जिला स्तर पर उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।

संलग्न:-आवेदन पत्र एवं सामान्य निर्देश।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 19 ()/WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CIT/2019-20/ दिनांक 09/12/2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु : - 29264-405

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि.(RKCL) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
12. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
14. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)